

प्रेस नोट थाना पिपराइच दिनांक 26-02-2021

अवैध गांजा व चोरी के सामान के साथ थाने का हिस्ट्रीशीटर व टाप-10 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में घटित घटनाओं में गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं पुलिस अधीक्षक अपराध के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के कुशल नेतृत्व में पिपराइच पुलिस टीम को लगाया गया था। आज दिनांक 26.02.2021 को थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार मिश्र, उ०नि० श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी, हे०का० प्रवीण तिवारी, हे०का० हरेन्द्र मिश्रा, का० सुरेश यादव के साथ तलाश वाँछित में मुखबीर की सूचना पर ग्राम बेलवा तिराहा पर गाढाबन्दी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम पता पूछने पर अपना नाम गौरजीत चौहान पुत्र स्व० शिवनाथ निवासी अगया बड़ा टोला थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर बताया जिसकी जामातलाशी ली गयी तो उसके पास से 1.34 किग्रा० अवैध गांजा, 6500 रुपये नगद, एक अदद मोबाइल टेक्नो कम्पनी, दो अदद बिजली का बिल उपभोक्ता सरस्वती देवी, एक अदद आरसी गाड़ी व एक अदद डीएल लाइसेंस नं०- 239410 उक्त दोनो राजकुमार प्रजापति पुत्र गुलाब प्रजापति निवासी नगर पंचायत पिपराइच वार्ड नं० 12 थाना पिपराइच गोरखपुर के नाम से व एक अदद मो०सा० वाहन संख्या UP53DM 1672 बरामद हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 24.02.2021 की रात कस्बा पिपराइच में एक मकान में अपने साथियों सानू खान, सानू अंसारी, व सोनू रावत के साथ मिलकर सोने चांदी के गहने व 24000/- रूपया नगद, मोबाइल फोन व अन्य सामान चोरी किया था। अभियुक्त गौरजीत के पास से बरामद अवैध गांजा के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 55/2021 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया है तथा दिनांक 24.01.2021 को चोरी के सम्बन्ध में पूर्व से मु०अ०सं० 49/2021 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त गौरजीत चौहान पुत्र स्व० शिवनाथ निवासी अगया बड़ा टोला थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीटर व टाप-10 अपराधी है जिसके विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही भी की जा चुकी है। उपरोक्त अभियुक्त शातिर अपराधी है जो चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शस्त्र रखने जैसे गम्भीर अपराधों में संलग्न रहा है, जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर निम्न मुकदमें पंजीकृत है जिसका विवरण निम्नवत् है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता -

- 1- गौरजीत चौहान पुत्र स्व० शिवनाथ निवासी अगया बड़ा टोला थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

- 1- 1.34 किग्रा० अवैध गांजा,
- 2- मु०अ०सं० 49/2021 धारा 457/380/411 भादवि से सम्बन्धित 6500 रुपये नगद,
- 3- एक अदद मोबाइल टेक्नो कम्पनी, दो अदद बिजली का बिल उपभोक्ता सरस्वती देवी, एक अदद आर०सी० गाड़ी व एक अदद डी०एल० लाइसेंस नं०- 239410 उक्त राजकुमार प्रजापति पुत्र गुलाब प्रजापति निवासी नगर पंचायत पिपराइच वार्ड नं० 12 थाना पिपराइच गोरखपुर के नाम से व एक अदद मो०सा० वाहन संख्या UP53DM 1672

आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं० 362/14 धारा 457/380/411/506 भादवि
- 2- मु०अ०सं० 394/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
- 3- मु०अ०सं० 703/16 धारा 457/380/411 भादवि
- 4- मु०अ०सं० 61/17 धारा 457/380/411 भादवि
- 5- मु०अ०सं० 154/17 धारा 457/380/411 भादवि
- 6- मु०अ०सं० 469/17 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट

- 7- मु0अ0सं0 192/18 धारा 363/366 भादवि
- 8- मु0अ0सं0 194/18 धारा 411/413 भादवि
- 9- मु0अ0सं0 195/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
- 10- मु0अ0सं0 443/18 धारा 380/454 भादवि
- 11- मु0अ0सं0 49/21 धारा 457/380/411 भादवि
- 12- मु0अ0सं0 55/21 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम -

1. थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्र थाना पिपराइच,
2. उ0नि0 श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी थाना पिपराइच,
3. हे0का0 प्रवीण तिवारी थाना पिपराइच,
4. हे0का0 हरेन्द्र मिश्रा थाना पिपराइच,
5. का0 सुरेश यादव थाना पिपराइच,